रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012022-232594
CG-DL-E-12012022-232594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

का.आ. 146(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5651(अ), तारीख 05 नवंबर, 2018 का अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण तमिलनाडु (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, तमिलनाडु कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	डॉ. एन कृष्णकुमार, आईएफएस (सेवानिवृत्त), जी/3/1, ताईशा एआईएस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नतेसन नगर वेस्ट 3स्ट्रीट विरुगमबक्कम, चेन्नई-600092	अध्यक्ष;

2.	डॉ. एस, गणपति वेंकटसुब्रमंतन बी-189,5वीं लिंक रोड, अर्नमा आश्रम, मद्रास यूनिवर्सिटी स्टाफ कॉलोनी, पालकाई नगर पलावक्कम, चेन्नई-600041	सदस्य;
3.	पर्यावरण निदेशक, चेन्नई - 600 - 015	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, तमिलनाडु ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, तमिलनाडु अपने विनिश्चय तमिलनाडु राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, तमिलनाडु की सहायता के प्रयोजन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., तमिलनाडु कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	श्री के. दीनबंधु, आईएएस (सेवानिवृत्त) 5,राजराजन स्ट्रीट, कलाक्षेत्र कॉलोनी, बेसेंटी चेन्नई-600090	अध्यक्ष;
2.	श्री. के कुमार, पूर्व जेसीईई, टीएनपीसीबी बीबीसीएल वज्र, फ्लैट नंबर: 12 सी, टॉवर नंबर: 3, सर्विस रोड, नोलंबूर, चेन्नई-600037	सदस्य;
3.	डॉ. बी गौतम, सहायक प्रोफेसर और प्रमुख, प्रेसीडेंसी कॉलेज भूविज्ञान विभाग, प्रेसीडेंसी कॉलेज (स्वायत्त), चेन्नई-600005	सदस्य;
4.	डॉ .पी .बालमदेश्वरन, सहायक प्रोफेसर, खनन विभाग इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई-600025	सदस्य;
5.	श्री. वेलाझगन डी, सहायक पर्यावरण अभियंता (सेवानिवृत्त), टीएनपीसीबी एफ आई बी- ब्लॉक,न्यू कैसल अपार्टमेंट,17/3, तिरुवल्लुवर नगर मेन रोड, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117	सदस्य;
6.	डॉ .वी .सेल्वम	सदस्य;

	पूर्व निदेशक, एमएसएसआरएफ 23, थिलाई नटराजर रोड कनागसाबाई नगर, चिदंबरम- 608001	
7.	डॉ. जी. ऐनी जोसेफिन सेल्वम, प्रबंधक (सेवानिवृत्त), टीएनपीसीबी प्लॉट नंबर 59, वेस्ट मेन रोड, बालाजी नगर मदंबक्कम, चेन्नई 600126	सदस्य;
8.	श्री. केएसएसवीपी रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), सदस्य: सी/902, ताइशा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, नतेसन नगर के पास विरुगंबक्कम चेन्नई 600092	सदस्य;
9.	श्री थंगप्रकाशम, पूर्व सीई, लोक निर्माण विभाग एचआईजी 26/टीएनएचबी अपार्टमेंट, 4" एवेन्यू, इंद्र अगर, अडयार 600020	सदस्य;
10.	डॉ. कुरियन जोसेफ पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पर्यावरण अध्ययन केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई - 600 025	सदस्य;
11.	डॉ. डी. नरसिम्हन सदस्य; एसोसिएट प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), 'मद्रास क्रिस्टी' कॉलेज (स्वायत्त)। ताम्बरम 5, संतान लक्ष्मी स्ट्रीट, राजेस्वरी नगर सेलाइयूर, चेन्नई - 600 059	सदस्य;
12.	डॉ. रामसुब्रमण्यम, सदस्य; कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय एक्का फाउंडेशन फ्लैट बी-4, एसएन जल गणपति फ्लैट्स। 9/4, स्कूल गली रुद्र नगर क्रोमपेट चेन्नई - 600 044	सदस्य;
13.	डॉ कवि कुमार, प्रोफेसर, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चेन्नई -600025	सदस्य;
14.	सदस्य सचिव, सदस्य सचिव। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गिंडी, चेन्नई- 600 032	सदस्य;

6. एस.ई.ए.सी., तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., तमिलनाडु ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., तमिलनाडु सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए-

क. प्राधिकरण, तमिलनाडु और एसईएसी, तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

ख. प्राधिकरण तमिलनाडु और एसईएसी, तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्य किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोगी नहीं लेंगे,जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण, तमिलनाडु और एसईएसी, तमिलनाडु द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

ग. यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण, तमिलनाडु और एसईएसी, तमिलनाडु के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, तमिलनाडु और एसईएसी, तमिलनाडु की बैठक बचाव करेंगे।

10. तमिलनाडु राज्य सरकार, प्राधिकरण तमिलनाडु और एस.ई.ए.सी., तमिलनाडु के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण, तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता तमिलनाडु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.-आईए3-1/4/2021-आई.ए.III]

डॉ .सुजीत कुमार बाजपेई, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

S.O. 146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O.5651, dated the 5th November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Tamil Nadu (hereinafter referred to as the Authority, Tamil Nadu) comprising of the following Members, namely:-

1	Dr. N. Krishnakumar, IFS (Retired), G/3/1, TAISHA AIS Housing Complex Natesan Nagar West 3rd Street, Virugambakkam, Chennai-600092	Chairman;
2	Dr. S. Ganapathy Venkatasubramanian B-189, 5th Link Road, Ammaa Ashram, Madras University Staff Colony, Palkalai Nagar, Palavakkam, Chennai-600041	Member;

3	Director of Environment, Chennai – 600 015	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Tamil Nadu shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Tamil Nadu shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Tamil Nadu shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Tamil Nadu.

5. For the purpose of assisting the Authority, Tamil Nadu, the Central Government, in consultation with the State Government of Tamil Nadu, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC), Tamil Nadu comprising of the following Members, namely:-

1	Shri K. Deenabandu, IAS (Retired) 5, Rajarajan Street, Kalakshetra Colony, Besant Nagar, Chennai-600090	Chairman;
2.	Shri. K. Kumar, Former JCEE, TNPCB BBCL Vajra, Flat No:12C, Tower No:3, Service Road, Nolambur, Chennai-600037	Member;
3.	Dr. B. Gowtham, Assistant Professor & Head, Presidency College Department of Geology, Presidency College(Autonomous), Chennai-600005	Member;
4.	Dr. P. Balamadeswaran, Assistant Professor, Department of Mining Engineering College of Engineering Guindy, Anna University, Chennai-600025	Member;
5.	Shri. Velazhagan D, Assistant Environmental Engineer (Retired), TNPCB F1B- Block, New castle apartment, 17/3, Thiruvalluvar Nagar Main Road, Keelkattalai, Chennai-600117	Member;
6.	Dr. V. Selvam Former Director, MSSRF 23, Thillai Natarajar Road Kanagasabai Nagar, Chidambaram -608001	Member;
7.	Dr. G. Anne Josephine Selvam, Manager (Retired), TNPCB Plot No.59, West Main Road, Balaji Nagar, Madambakkam, Chennai 600126	Member;
8.	Shri. K.S.S.V.P. Reddy, IFS (Retired), C/902, TAISHA Housing Complex, Near Natesan Nagar, Virugambakkam, Chennai-600092	Member;
9.	Shri R. Thangaprakasam, Former CE, Public Works Department HIG 26/TNHB Apartments, 4th Avenue, Indra Nagar, Adyar 600020	Member;
10.	Dr. Kurian Joseph, Professor of Environmental Engineering Centre of Environmental Studies, Anna University, Chennai-600025	Member;
11.	Dr. D. Narasimhan Associate Professor (Rtd), Madras Christian college (Autonomous), Tambaram	Member;

	5, Santhana Lakshmi Street, Rajeswari Nagar, Selaiyur, Chennai – 600 059.	
12.	Dr. Ramasubramaniyan, Executive Director, National Aqua Foundation Flat B-4, Sri Jal Ganapathy Flats, 9/4, School Street, Radhanagar, Chromepet, Chennai-600044	Member;
13.	Dr. Kavi Kumar, Professor, Madras School of Economics Chennai-600025	Member;
14.	Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Guindy, Chennai- 600 032	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Tamil Nadu shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Tamil Nadu shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Tamil Nadu shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest –

a. the Chairman and Members of the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
b. the Chairman and Members of the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu during their tenure; and
c. if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Tamil Nadu shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Tamil Nadu and SEAC, Tamil Nadu shall be paid as per the rules of the State Government of Tamil Nadu.

[F. No. IA3-1/4/2021-IA.III]
DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.12 19:55:05 +05'30'